न्यायालय जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी श्री सिद्धार्थ सिहाग, आई.ए.एस.

(2)

सतीश चंद शर्मा पुत्र प्रभातीलाल शर्मा, जाति ब्राह्मण, उम्र 50 साल, निवासी ताली तहसील मासलपुर उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत डांडा, तहसील करौली हाल तहसील मासलपुर जिला करौली (राज.) — अपीलार्थी

बनाम

जिला रसद अधिकारी, करौली (राज.) — प्रत्यर्थी

अपील अंतर्गत धारा 22 राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 एवं जिला रसद अधिकारी करौली द्वारा पारित निर्णय व आदेश दिनांक 29.11.2019 के विरुद्ध

निर्णय

दिनांक 21.09.2020

यह अपील राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 की धारा 22 के तहत पेश की गई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी राशन डीलर द्वारा दिनांक 25.01.2018 से पूर्व बीमार होने के कारण राशन वितरण संबंधी कार्य करने में असमर्थता का प्रार्थना पत्र प्रत्यर्थी के कार्यालय में पेश किया गया था जिसके उपरांत प्रवर्तन निरीक्षक करौली की अभिशंषा के आधार पर अन्य राशन डीलर को अपीलार्थी राशन डीलर के स्थान पर अटैच किया था। अपीलार्थी राशन डीलर के कार्य पर उपस्थित नहीं आने, लम्बे समय से बीमार/अवकाश पर रहने और राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार की शर्तों में अवकाश नहीं होने के कारण दिनांक 29.11.2019 को अपीलार्थी राशन डीलर का प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है जिसके विरुद्ध यह अपील पेश की गई है।

अपील, अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी की तलबी जरिये सम्मन नोटिस की गई। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब कर शामिल पत्रावली किया गया।

बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वकील अपीलार्थी ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया है कि अपीलाण्ट ग्राम डांडा ग्राम पंचायत डांडा तहसील मासलपुर पूर्व तहसील करौली जिला करौली (राज.) की उचित मूल्य दुकान का अधिकृत डीलर है। प्रार्थी का प्राधिकार पत्र संख्या 853/91 है। अपीलाण्ट बिना किसी शिकायत के ईमानदारी से ग्राम पंचायत डांडा तहसील मासलपुर के उपभोक्ताओं को रसद सामग्री का दिनांक 25.01.2018 से पूर्व वितरण करता रहा है। प्रार्थी द्वारा 25.01.2018 से पूर्व रेस्पोण्डेण्ट को स्वास्थ्य खराब होने के कारण अपीलाण्ट द्वारा उचित मूल्य दुकान का कार्य करने में असमर्थता प्रकट करने पर नजदीकी ग्राम पंचायत जमूरा के उचित मूल्य दुकानदार सियाराम गुर्जर को लगाने की अभिशंषा की प्रवर्तन निरीक्षक करौली की रिपोर्ट पर दिनांक 25.01.2018 को सतीश चंद शर्मा, अपीलाण्ट उचित मूल्य दुकानदार का चार्ज सियाराम गुर्जर उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत जमूरा को संभलवाने का आदेश दिया था जिसके तहत अपीलाण्ट ने सियाराम गुर्जर को पोस मशीन सहित समस्त सामग्री सियाराम गुर्जर को संभलवा दी। रेस्पोण्डेण्ट द्वारा अपीलाण्ट का प्राधिकार पत्र विधि विरुद्ध रूप से अवकाश संबंधी कोई प्रावधान नहीं होने की एवं बिना किसी सूचना के डीलरशिप के दायित्व पर निर्भर नहीं करने के कारण निरस्त किया गया है जबकि स्वयं रेस्पोण्डेण्ट द्वारा दिनांक 25.01.2018 को अपीलाण्ट को स्वास्थ्य संबंधी खराबी होने

जिला कलक्टर
करौली

के कारण अपीलाण्ट की उचित मूल्य की दुकान ग्राम पंचायत डांडा का चार्ज सियाराम गुर्जर उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत जमूरा को अटैच किया गया है जिससे स्पष्ट है कि अपीलाण्ट द्वारा किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं किया गया है ना ही बिना सूचना के डीलरशिप के दायित्व का निर्वहन नहीं किया गया है बल्कि अपीलाण्ट द्वारा रेस्पोण्डेण्ट के कार्यालय में स्वास्थ्य खराब होने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उचित मूल्य दुकान का कार्य बंद कर रेस्पोण्डेण्ट के आदेश दिनांक 25.01.2018 से सियाराम गुर्जर उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत डांडा को चार्ज संभलवाया है। ऐसी स्थिति में रेस्पोण्डेण्ट द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.11.2019 विधि विरुद्ध है, खिलाफे कानून, रूयेदाद मिसल है और निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलाण्ट स्लिप डिस्क बीमारी से पीड़ित रहा है। अपीलाण्ट दिनांक 10.04.2020 को स्वस्थ होने पर रेस्पोण्डेण्ट के कार्यालय में अपना चार्ज वापस लेने का आवेदन करने आया, तब रेस्पोण्डेण्ट ने अपीलाण्ट से कहा कि आपके काफी लम्बे समय से अवकाश/बीमार होने के कारण आपका उचित मूल्य दुकान का प्राधिकार पत्र दिनांक 29.11.2019 को निरस्त किया जा चुका है। तब अपीलाण्ट ने उसी दिन रेस्पोण्डेण्ट के कार्यालय में निर्णय दिनांक 29.11.2019 का नकल आवेदन पेश किया और दिनांक 13.05.2020 को नकल प्राप्त हुई, तब अपीलाण्ट को निर्णय दिनांक 29.11.2019 की जानकारी हुई है। इससे पूर्व अपीलाण्ट को निर्णय दिनांक 29.11.2019 की जानकारी नहीं रही है। दिनांक 29.11.2019 से दिनांक 13.05.2020 तक समय जानकारी अपीलाण्ट के अभाव में एवं नकल में लगे समय को मुजरा करते हुए कण्डोन किये जाने योग्य है जिसके लिये धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र अपील के साथ पेश किया है। जानकारी दिवस 13.05.2020 से अपील अपीलाण्ट अन्दर मियाद प्रस्तुत है। अंत में अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाने का कथन किया है।

प्रत्यर्थी ने बहस के दौरान कथन किया है कि श्री सतीश शर्मा, उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत डांडा तहसील करौली लम्बी अवधि से बिना किसी सूचना के राशन संबंधी कार्य नहीं कर रहे हैं। इस संबंध में पूर्व में कार्यालय द्वारा उक्त राशन डीलर को दिनांक 04.07.2019 एवं 06.08.2019 को रजिस्टर्ड डाक से जारी किये गये लेकिन उक्त नोटिसों का स्पष्टीकरण अपीलार्थी डीलर द्वारा नहीं दिया गया। राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के अंतर्गत जारी प्राधिकार पत्र की शर्तों में उचित मूल्य दुकानदार के अवकाश संबंधी कोई प्रावधान नहीं होने एवं बिना किसी सूचना के डीलरशिप के दायित्व का निर्वहन नहीं करने के कारण अपीलार्थी डीलर का प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है जो विधिसम्मत है। अंत में अपील अपीलाण्ट खारिज फरमाने का कथन किया है।

बहस उभय पक्षकारान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का गहनता से अवलोकन कर मनन किया गया। अपीलार्थी राशन डीलर द्वारा दिनांक 25.01.2018 से पूर्व अपने बीमार होने के कारण उचित मूल्य दुकान का कार्य करने में असमर्थता जाहिर करने का प्रार्थना पत्र प्रत्यर्थी के कार्यालय में पेश किया गया है जिसके आधार पर प्रवर्तन निरीक्षक करौली द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में श्री सियाराम गुर्जर उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत जमूरा को अटैच डीलर लगाये जाने की अभिशंषा की गई है एवं उक्त रिपोर्ट के आधार पर ही प्रत्यर्थी द्वारा आदेश क्रमांक–रसद/अभियोजन/2017–18/1534–41 दिनांक 25.01.2018 द्वारा श्री सियाराम गुर्जर उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत जमूरा को अपीलार्थी डीलर के स्थान पर अटैच डीलर लगाया गया है। इसलिये प्रत्यर्थी का यह कथन कि अपीलार्थी डीलर बिना सूचना के राशन वितरण दायित्व से अनुपस्थित रहा है, गलत है। अपीलार्थी द्वारा बीमार होने के कारण नोटिस का जवाब नहीं दे पाना अंकित किया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की कार्यालय टिप्पणी के

जिला कलक्टर
करौली

पैरा 5/एन में प्रवर्तन निरीक्षक करौली द्वारा की गई टिप्पणी दिनांक 29.11.2019 में यह अंकित है कि अपीलार्थी डीलर गंभीर बीमारी होने के कारण कार्य नहीं कर पा रहा था, वर्तमान में वह कार्य करने हेतु तैयार है। अर्थात् नोटिस का जवाब नहीं दे पाने के संबंध में अपीलार्थी द्वारा प्रवर्तन निरीक्षक को अवगत करवा दिया गया है। यद्यपि राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 द्वारा जारी राशन डीलर के प्राधिकार पत्र में अवकाश पर रहने का कोई प्रावधान नहीं है, तथापि प्रत्यर्थी द्वारा तत्समय ही दिनांक 25.01.2018 को अपीलार्थी का राशन डीलर प्राधिकार पत्र निरस्त नहीं किया गया था और जब अपीलार्थी राशन डीलर, राशन वितरण का कार्य करने के लिये तैयार था, तब अपीलार्थी राशन डीलर का प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है, जो उचित नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी राशन डीलर को एक अवसर दिया जाना न्यायोचित है। अतः हम अपील, अपीलार्थी को स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 29.11.2019 अपास्त किया जाता है। प्रकरण जिला रसद अधिकारी करौली को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे प्रकरण में पुनः जांच कर गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करें। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित वापस भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 21.09.2020 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(सिद्धार्थ सिहाग)
जिला कलक्टर
करौली